कार्यालय यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
35, प्रथम तल, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस.परिसर, रायपुर छ.ग.

Walk- In- Interview

यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत् पायलट परियोजना के तहत् राज्य के सरगुजा संभाग में संभागीय स्वास्थ्य सलाहकार के ST वर्ग तथा बस्तर संभाग में संभागीय अस्पताल सलाहकार के ST वर्ग के रिक्त संविदा पद पर भर्ती हेतु दिनांक 11 अप्रैल 2015 को **पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. परिसर, रायपुर** में वॉक –इन–इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

SN	Post Name	Total Post (Backlog)	Essential Qualification	Age Limit	Monthly Emoluments (Consolidated)	Date & Time of Walk-In-Interview & Address
1	Regional Health Consultant	1 (ST)	PG Degree/Diploma in Public Health/Health care Administration/ Health Managment (All 2 years full time regular Course) from institute approved by UGC/AICTE.	18 to 64 Years	Rs. 40,000/- with additional fixed amt. Rs. 10,000/- for mobility support.	Date- 11-04-2015 Registration time- 10 AM To 12 AM Address- Conference Hall, First Floor, Old Nurses Hostel, DKS Campus, Raipur C.G.
2	Regional Hospital Consultant	1 (ST)	PG Degree/Diploma in Hospital Administration / Hospital Managament (All 2 years fulltime regular Course) from institution approved by UGC/AICTE.	18 to 64 years	Rs. 40,000/- with additional fixed amt. Rs. 10,000/- for mobility support.	Date- 11-04-2015 Registration time- 10 AM To 12 AM Address- Conference Hall, First Floor, Old Nurses Hostel, DKS Campus, Raipur C.G.

नोटः–

1. भर्ती क संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम–शर्ते, आयु सीमा एवं अन्य दिशा–निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप, विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर उपलब्ध है।
2. रजिस्ट्रेशन हेतु पद के सम्मुख उल्लेखित दिनांक को आवेदक को भरे हुये आवेदन पत्र (आवश्यक दस्तावेंजो की छायाप्रति सहित) तथा आवेदन शुल्क की राशि रू. 500/– का बैंक ड्राफ्ट **"DIRECTOR HEALTH SERVICES - ECSPP - SPMU" के नाम से, जो कि रायपुर में देय हो** के साथ निर्धारित समय एवं स्थान में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एवं आवेदनों की स्कूटनी पश्चात् की जावेगी।
3. अनिवार्य अर्हता अनुरूप केवल पात्र आवेदकों को ही साक्षात्कार प्रकिया में सम्मिलित किया जावेगा।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.

भर्ती के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश :–

1. रजिस्ट्रेशन के पश्चात् केवल पात्र उम्मीद्वारों को ही साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जावेगा। अपात्र उम्मीद्वारों को साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट नही किया जावगा एवं उनके द्वारा जमा किया गया शुल्क भी वापसी योग्य नही होगा। अतः सभी आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन में दी गई अर्हता अनुसार योग्य होने पर ही राजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेवे।
2. संभागीय स्वास्थ्य सलाहकार हेतु विज्ञापन में अर्हता के संबंध में उल्लेखित विशेषज्ञताओं (Public Health/Health care Administration/ Health Managament) में ही PG Degree/PG Diploma तथा संभागीय अस्पताल सलाहकार हेतु विज्ञापन में अर्हता के संबंध में उल्लेखित विशेषज्ञताओं (Hospital Administration / Hospital Management) में ही PG Degree/PG Diploma होना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र दिये गये प्रारूप (प्रारूप की प्रति विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में उपलब्ध है) में ही प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक पंजीयन के समय आवेदन पत्र के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल निवासी, अनापत्ति, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करें एवं मूल प्रमाण–पत्र अनिवार्यतः अपने साथ लावें।
5. जन्म तिथि हेतु 10+2 (दसवीं) के प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. आवेदक की आयु की गणना दिनॉक 01.03.2015 के आधार पर की जावेंगी।
7. पदों का आरक्षण शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा।

8. आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यार्थियों के लिए है।
9. अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यार्थियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित छानबीन समिति से जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत उम्मीद्वारों को उन संस्थानों के नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन में संलग्न करना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. अंतर्गत् कार्यरत आवेदकों को उनके नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
12. उक्त पदों के लिये पंजीयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सभा कक्ष, प्रथम तल, पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. परिसर, रायपुर (छ.ग.) में तालिका में दर्शायी गई दिनांक को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक स्वंय उपस्थित होवें। इस अवधि में पंजीकृत उम्मीदवार के आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा। प्रातः 12:00 बजे के पश्चात् उपस्थित उम्मीद्वार के आवेदन पत्र/अभ्यावेदन अथवा प्रस्तुत दस्तावेज पर अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।
13. प्रतीक्षा सूची जारी किये गए दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगी।
14. आवेदक को पंजीयन एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताएं किसी या समस्त आवेदनों को अमान्य अथवा निरस्त कर सकते हैं तथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को भी निरस्त कर सकते हैं।
16. किसो भी स्तर से व्यक्तिगत संपर्क अथवा दबाब डलवाने पर आवेदक को अपात्र घोषित किया जा सकता है।
17. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार संचालक स्वास्थय सेवायें छ.ग. का होगा। साक्षात्कार होने के उपरांत उपयुक्त उम्मीद्वार नहीं मिलने की दशा में भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. के पास सुरक्षित है।
18. चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति संबंधित सभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों में संविदा सेवा शर्तो के अधीन 1 वर्ष तक के लिए होगी तथा इस अवधि के पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
छ.ग.